Australian Government | Australian Charities and Not-for-profits Commission

# ACNC और दान-संस्था के दायित्व

ऑस्ट्रेलियाई दान और गैर-लाभकारी संस्थाओं का आयोग (Australian Charities and Not-for-profits Commission), जिसे ACNC (एसीएनसी) के नाम से भी जाना जाता है, दान-संस्थाओं (चैरिटीज़) का राष्ट्रीय नियामक है। हम यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि दान-संस्थाएँ नियमों का पालन करती हैं और उनके पास अपना काम सही ढंग से करने के लिए जानकारी उपलब्ध है।

नियमों से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि दान-संस्था सही ढंग से संचालन करती है - यह संस्था सुप्रशासित है। इसका अर्थ यह है कि पैसे को वहीं खर्च किया जा रहा है जहाँ इसे किया जाना चाहिए, जिन लोगों की मदद दान-संस्था द्वारा की जाती है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, समस्याओं के बारे में शीघ्र पता लगाया जाता है, संस्था लंबे समय तक कार्यरत रहती है, और लोग दान या मदद करने में आत्मविश्वासी महसूस करते हैं।

हम संस्थाओं को ACNC के साथ पंजीकृत करके उन्हें दान-संस्था बनने की अनुमति भी देते हैं। पंजीकृत होने पर दान-संस्था अपने कार्य में सहायता के लिए कानूनी और कर लाभों तक पहुँच प्राप्त कर सकती है। ACNC कर लाभों के लिए Australian Taxation Office (ATO) को आवेदन भेजती है, और ATO यह निर्धारित करता है कि किसी दान-संस्था को कर में छूट मिल सकती है या नहीं।

ACNC, ACNC चैरिटी रजिस्टर भी बनाए रखता है, जो ऑस्ट्रेलिया में सभी पंजीकृत दान-संस्थाओं की निःशुल्क ऑनलाइन सूची है।

चैरिटी रजिस्टर में दान-संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें उनके संपर्क विवरण, वे क्या करते हैं, वे किसकी मदद करते हैं, उन्हें कौन चलाता है, और उनके वित्तीय विवरणों की जानकारी शामिल होती है।

किसी भी दान-संस्था के लिए दान या स्वयं सेवा करने से पहले, यह देखने के लिए कि क्या यह दान-संस्था ACNC के साथ आधिकारिक रूप से पंजीकृत है या नहीं, चैरिटी रजिस्टर की जाँच करना सही रहेगा।

यदि दान-संस्था रजिस्टर में दिखाई देती है, तो आप इस बारे में विश्वस्त रह सकते/ सकती हैं कि आप किसी वास्तविक दान-संस्था को ही दान कर रहे/ रही हैं।

दान-संस्थाओं के लिए, रजिस्टर में होने से लोगों को उनकी संस्था के बारे में अप-टू-डेट जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है और इससे यह भी झलकता है कि आप सही काम कर रहे हैं।

प्रतिवर्ष चैरिटी रजिस्टर पर लाखों खोजें की जाती हैं, इसलिए इसमें दान-संस्थाओं की सही जानकारी होना और इसे अप-टू-डेट रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ऑस्ट्रेलिया के लोग इस बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले कि वे किस दान-संस्था में पैसे दान कर सकते हैं, स्वयं सेवा या सहायता कर सकते हैं, उस दान-संस्था की वास्तविकता के बारे में जाँचने के लिए चैरिटी रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं।

**दान-संस्थाओं के दायित्व**

ACNC के साथ पंजीकृत दान-संस्था बने रहने के लिए दान-संस्थाओं को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने की जरूरत होती है।

इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उनके द्वारा किए गए सभी कार्य उनके धर्मार्थ उद्देश्य को पूरा करते हैं। उद्देश्य ही उस कारण को दर्शाता है जिसके लिए इन्हें स्थापित किया गया था - जैसे कि समुदाय के लोगों की मदद करना। उन्हें ACNC को महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में अपडेट करने की आवश्यकता है, जैसे कि जब वे किसी नए बोर्ड सदस्य की नियुक्ति करते हैं या फिर जब उनकी संपर्क जानकारी में कोई परिवर्तन होता है। दान-संस्थाओं को सही अभिलेख रखने की जरूरत होती है—जैसे कि उनके द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों की वित्तीय जानकारी और दस्तावेज़। रिकॉर्ड किसी भी अन्य भाषा में रखे जा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि ज़रूरत पड़ने पर उनका अनुवाद आसानी से अंग्रेज़ी भाषा में किया जा सके।

प्रतिवर्ष, दान-संस्थाओं को ऑनलाइन वार्षिक सूचना विवरण भरने की आवश्यकता होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने पिछले वर्ष क्या किया और अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया।

पंजीकृत दान-संस्थाओं को छह प्रशासन मानकों के अनुपालन करने की आवश्यकता है जो यह बताते हैं कि दान-संस्था को कैसे संचालित किया जाना चाहिए। जो दान-संस्थाएँ विदेशों में काम करती हैं या पैसा भेजती हैं, उन्हें चार अतिरिक्त मानकों का अनुपालन करना होता है – जिन्हें बाहरी आचरण मानक कहा जाता है।

यह महत्वपूर्ण है कि पंजीकृत दान-संस्थाएँ इन मानकों को समझें और उनका अनुपालन करें, क्योंकि इससे चैरिटी सेक्टर में ईमानदारी और निष्कपटता का वातावरण बनाने में मदद मिलती है।